पत्रांक–2ब०/जला–01–04/2016 2559 /न०वि०एवंआ०वि०

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

चैतन्य प्रसाद,
सरकार के प्रधान सचिव।

सेवा में,

प्रबंध निदेशक,
बुडको।
नगर आयुक्त,
नगर निगम–पटना एवं मुजफ्फरपुर।

पटना, दिनांक–23/5/19

विषयः– **ADB सम्पोषित पटना एवं मुजफ्फरपुर जलापूर्ति योजना के लिए भूमि चिन्हित कर NOC प्राप्त करने के संबंध में।**

प्रसंगः– **विभागीय ज्ञापांक– 2505, दिनांक– 21.05.2019**

महाशय,

उपयुक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र की छायाप्रति संलग्न करते हुए कहना है कि पटना एवं मुजफ्फरपुर में भूमि की अनुपलब्धता के कारण पूर्व में जलापूर्ति योजना पूर्ण नहीं हो सकी। वर्तमान में यहाँ ADB सम्पोषित जलापूर्ति योजना क्रियान्वित की जानी है, जिसके लिए भूमि की आवश्यकता होगी।

अतः अनुरोध है कि उक्त योजना की स्वीकृति के पूर्व ही भूमि चिन्हित कर संबंधितों से NOC प्राप्त कर लिया जाय ताकि योजना के क्रियान्वयन में किसी प्रकार का रूकावट नहीं हो सके।

अनु०–यथोक्त।

विश्वासभाजन,
22/5/2019
सरकार के प्रधान सचिव।

D:\Section - 2 (19-20)\Anand\Letter\Letter- P. Sect..docx

माननीय मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग की अध्यक्षता में नगर निकायों में पेयजल समस्या के संबंध में दिनांक– 20.05.2019 को आयोजित बैठक की कार्यवाही :–

बैठक में राज्य के नगर निकायों में पेयजल की समस्या पर चर्चा की गई एवं माननीय मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा निम्नलिखित निर्देश दिये गये :–

i. सभी नगर निकायों में प्रत्येक 02 वार्ड पर 01 वाटर टैंकर उपलब्ध कराने हेतु स्टेनलेस स्टील के बड़े आकार के टैंकर नगर निकाय नियमानुसार क्रय कर लें। प्रमंडलीय मुख्यालय में 02 अतिरिक्त वाटर टैंकर क्रय किया जाय। गणना के क्रम में नगर निकाय के पास उपलब्ध वाटर टैंकर की संख्या को घटा दिया जाएगा। सभी नगर निकायों द्वारा उपलब्ध राशि से उक्त टैंकर का क्रय किया जाएगा। राशि की आवश्यकता होने पर राज्य योजना से शेष राशि आवंटित की जायेगी।

ii. नगर निकायों में स्थित सभी चापाकल का मरम्मत कराकर चालू स्थिति में लाया जाय। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा क्रियान्वित चापाकल की मरम्मति हेतु लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग से अनुरोध किया जाय। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा मरम्मति नहीं कराने की स्थिति में नगर निकाय द्वारा ही मरम्मति कराया जाय। साथ ही इसकी सूचना लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग को भी दी जाय।

iii. बुडको द्वारा क्रियान्वित जलापूर्ति योजना अन्तर्गत अधिष्ठापित ट्यूबबेल यदि कार्यरत है एवं पाईप लाइन नहीं बिछाया गया है, तो तत्काल आम लोगों को सुविधा प्रदान करने हेतु उक्त Source का उपयोग कर Stand Post आदि के माध्यम से तत्काल पेयजल उपलब्ध कराया जाय।

iv. Stand Post/ सार्वजनिक स्थानों पर नलों में Push Button वाला नल लगाया जाएगा ताकि पानी की बर्बादी कम से कम हो सके।

v. Water Harvesting के लिए नगर निकायों में स्थित पोखर एवं कुएँ का जीर्णोद्धार कराया जाय। इस संबंध में नगर निकायों से प्रस्ताव प्राप्त किया जाय।

vi. नगर निगम, दरभंगा द्वारा राजस्थान मॉडल के आधार पर समरसेबूल अधिष्ठापन हेतु मॉडल प्राक्कलन तैयार किया गया है, जिसमें कतिपय सुधार कर सभी नगर निकायों के लिए मॉडल प्राक्कलन तैयार किया जाय। मॉडल प्राक्कलन के आधार पर योजना का क्रियान्वयन कराया जाय ताकि पेयजल समस्या का तत्कालीक हल हो सके।

vii. नगर निगम, दरभंगा से पेयजल संकट के निदान हेतु 49 वार्डो में समरसेबूल हेतु प्राप्त प्रस्ताव पर मॉडल प्राक्कलन के आधार पर स्वीकृति प्रदान किया जाय।

viii. नगर निगम, मुजफ्फरपुर से पेयजल संकट के निदान हेतु 48 वार्डो में समरसेबूल हेतु प्राप्त प्रस्ताव पर मॉडल प्राक्कलन के आधार पर स्वीकृति प्रदान किया जाय।

ix. ADB सम्पोषित मुजफ्फरपुर एवं पटना जलापूर्ति योजना अन्तर्गत योजना की स्वीकृति से पूर्व भूमि को चिन्हित करते हुए संबंधितों से NOC प्राप्त कर लिया जाय ताकि योजना का क्रियान्वयन में किसी प्रकार का रूकावट नहीं हो सके।

(142)

x. जिला मुख्यालय वाले नगर निकायों में नाला का निर्माण Precast Section का बनाया जाय एवं उसकी उँचाई इस तरह निर्धारित किया जाय कि नाला का कभर का उपयोग सड़क की चौड़ाई में हो सके।

xi. यदि कोई गली (नाली सहित) की चौड़ाई 10 फीट के अंतर्गत है तो उस गली के निर्माण में पेभर ब्लॉक का ही इस्तेमाल किया जाय। उल्लेखनीय है कि कम चौड़ाई वाले गली/सड़कों पर भारी वाहनों का परिचालन नहीं होता है।

xii. नगर निगम, आरा से पार्क के जीर्णोद्धार हेतु प्राप्त प्रस्ताव उपस्थापित किया जाय।

अंत में सधन्यवाद बैठक समाप्त की गई।

21/5/2019

(चैतन्य प्रसाद),
सरकार के प्रधान सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग।

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग।

ज्ञापांक–2ब०/जला०–01–04/2016 2505 /न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक–21/5/19

प्रतिलिपिः– सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/सभी जिला पदाधिकारी, बिहार/प्रबंध निदेशक, बुडको/नगर आयुक्त, सभी नगर निगम/कार्यपालक पदाधिकारी, सभी नगर परिषद्, एवं सभी नगर पंचायत/माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/विभागीय नोडल पदाधिकारी (नल–जल निश्चय)/विभागीय प्रधान सचिव के आप्त सचिव/विभागीय आई0टी0 प्रबंधक को वेवसाईट पर अपलोड करने एवं सभी संबंधित को ई०मेल करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

21/5/2019

(चैतन्य प्रसाद),
सरकार के प्रधान सचिव।

आनंद -

D:\Section - 2 (19-20)\Anand\Meeting\Meeting.docx